



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277349
CG-DL-E-22102026-277349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5529]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948

No. 5529]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5746(अ).— केन्द्र सरकार, पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की दिनांक 27 मई, 2025 की अधिसूचना सं.का.आ. 2365(असा.) के क्रम में लोकहित में पेट्रोलियम का आयात करने की आवश्यकता के मद्देनजर, एतद्वारा पेट्रोलियम नियमावली, 2002 के नियम 16(1) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड (जीपीपीएल) के लिए गुजरात स्थित पीपावाव पत्तन पर पेट्रोलियम उत्पादों के आयात-निर्यात (EXIM) संबंधी अधिसूचना की वैधता दिनांक 07.05.2026 से पीईएसओ (PESO) की अनुमति की वैधता तक बढ़ाई जाती है।

[फा. सं. ओ -25021/2/2024- एसएम) (ई 365062)]

प्रवीण पी. नायर, संयुक्त सचिव (पत्तन)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd October, 2026

S.O. 5746(E).— In exercise of the powers conferred under Rule 16(1) of the Petroleum Rules, 2002, and in continuation of Government of India, Ministry of Ports, Shipping and Waterways Notification No. S.O. 2365(E) dated 27th May, 2025, the Central Government, in consideration of the necessity to import petroleum in public interest, hereby extends the notification for Gujarat Pipavav Port Limited (GPPL) for EXIM of petroleum products at Pipavav Port Gujarat in terms of provision contained under clause 16(1) of the Petroleum Rules 2002 w.e.f 07.05.2026 and upto the validity of clearance of PESO.

[F. No. O-25021/2/2024-SM (e 365062)]

PRAVEEN P. NAIR, Jt. Secy. (Ports)